न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :—02 / 2022 तारीख रजू :— 02.02.2022

पीठासीन अधिकारी — अनूपसिंह

R.A.S.

रिकमोटल्स एल0एल0पी0 जरिये डेजिगनेटेड पार्टनर राकेश जैन पुत्र आन्नद कुमार जैन जाति जैन निवासी बी—154 योजना बिहार देहली——— प्रार्थीगण / आवेदकगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी———————— अप्रार्थी / विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित:— 1. श्री पी0एल0 गोयम एडवोकेट प्रार्थी

2.पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार श्रीमहावीरजी

निर्णय

दिंनाक :— 04.03.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद, श्रीमहावीरजी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र पूर्व में रामनिवास पुत्र गजानन्द महाजन निवासी श्रीमहावीरजी की खातेदारी में दर्ज रहा है। जिसे सायल के द्वारा जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 17. 04.2012 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा वर्तमान जमाबन्दी में सायल उक्त खसरा नम्बर का खातेदार काश्तकार है और भूमि पर काबिज व दखील है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र मौके पर 0.17 है0 भूमि है, जिसका साबिक खसरा नम्बर 1236 / 1 रकबा 14 बिस्वा रहा है तथा आज भी मौके पर 0.1[illegible] भूमि है और सायल उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज व दखील है तथा उक्त [illegible] नम्बर के पास ही पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 2310 / 2781 रकबा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि दौराने [illegible]लमेन्ट हाल खसरा नम्बर 2309 की नक्शा सीट कायम करते समय उसे सकरा करके छोटा कर दिया जिसे सीट के मुताविक नाप करने पर नाप में कुल 0.12 है0 भूमि बैठती है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

जबकि मौके व रिकार्ड में 0.17 है0 भूमि है तथा उक्त खसरा नम्बर 2309 के पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 2310/2781 में खसरा नम्बर 2309 के 0.05 है0 रकवे को मिलाकर उक्त खसरा नम्बर की सीट को चौडा कर दिया, जिसे सीट के अनुसार नापने पर उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.14 है0 के स्थान पर 0.19 है0 रकबा का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर की नक्शा सीट कायम करते समय सायल की खातेदारी की भूमि का रकबा राजस्व सीट में सकडा कर दिया और पश्चिम की ओर स्थित खसरा नम्बर 2310/2781 की नक्शा सीट में रकबा को बढाकर उसे चौडा कर दिया इसलिए प्रार्थी की खातेदारी की नक्शा सीट को राजस्व रिकार्ड व मौके अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वर्तमान में खसरा नम्बर 2310/2781 के दो नये नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 0.14 है0 कायम कर दिये तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड व उसकी नक्शा सीट में उक्त खसरा नम्बरान अस्तित्व में हैं। इस प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 2818/2310 व 2819/2310 कुल रकबा 0.14 है0 को राजस्व सीट में उक्त रकबे के अनुरूप कायम किया जावे तथा खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 को उसके रिकार्ड व मौके के अनुसार रकबा 0.17 है0 के अनुरूप राजस्व सीट में कायम कर राजस्व सीट की मुताविक मद नं04 प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरूस्ती कर नक्शा सीट दुरूस्त फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा मौके पर इस सम्बन्ध में भूमि की नाप हेतु पटवारी हल्का से बातचीत कर उक्त खसरा नम्बर की नक्शा सीट की नकल दिनांक 01.02.2022 को निकलबाई तथा उक्त नक्शा सीट को पटवारी हल्का को दिखाने पर उक्त स्थिति की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 स्थित गाम नौरंगाबाद की नक्शा सीट को उक्त रकबे के अनुरूप तथा खसरा नम्बर 2310/2781 रकबा 0.14 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 0.14 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद की नक्शा सीट को उक्त रकबे के अनुरूप कायम कर सीट की दुरूस्ती फ[illegible] के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस [illegible] किया गया। अप्रार्थी ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद [illegible] में दर्ज किया है कि मद सं01 राजस्व रिकार्ड के अनुसार सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 में अंकित तथ्य मुताविक रिकार्ड व मौके के अनुसार सही हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 इस हद तक स्वीकार है कि साबिक खसरा नम्बर 1236/1 मिन रकबा 14 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद मुताविक मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये उक्त मुतजिका आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 आज भी जमाबन्दी में अंकित है तथा सायल के नाम दर्ज रिकार्ड है, परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 का जो नक्शा बनाया है, उसका क्षेत्रफल निकालने पर लगभग 12 एयर बैठता है तथा उक्त खसरा नम्बर के पास ही पश्चिम में खसरा नम्बर 2310/2781 रकबा 14 एयर अंकित है जो कि वर्तमान में उक्त आराजी के 2 खसरा नम्बर होकर खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0 सिवायचक गै0मु0आबादी व खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 श्री दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी (निजी सम्पत्ति) के नाम दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 में अंकित तथ्यों की जॉच ग्राम नौरंगाबाद की पटवारी की लट्ठा सीट से की गई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2309 की नाप 12 एयर बैठती है, जो कि रिकाड से 5 एयर कम है। इसके पास में पश्चिम में अंकित खसरा नम्बर 2310/2781 जो रिकार्ड में 14 एयर दर्ज है को नक्शा सीट में नापने पर 19 एयर भूमि बैठती है। जो रिकार्ड में अंकित भूमि से 5 एयर अधिक है। इस प्रकार भू– प्रबन्ध विभाग ने नक्शा सीट बनाते समय खसरा नम्बर 2309 की आकृति में 5 एयर रकबा कम दर्ज किया है व खसरा नम्बर 2310/2781 में 5 एयर रकबा वेशी दर्ज किया है। खसरा नम्बर 2310/2781 को बाद में नामान्तकरण सं0 378 दिनांक 29.10.2014 द्वारा तरमीम कर दो नम्बर बना दिये गये। जो क्रमश 2818/2310 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 0.14 है0 रिकार्ड में दर्ज किये हैं। जिनका रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 2819/2310 का रकबा 7 एयर व खसरा नम्बर 2818/2310 का रकबा 12 एयर बैठता है। दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर 19 एयर होता है। जो कि मूल खसरा नम्बर 2310/2781 के रिकार्ड में दर्ज रकबा 14 एयर से 5 एयर वेशी है। संलग्न नक्शा नक्शा सीट के अनुसार खसरा नम्बर 2309 की पश्चिमी भुजा के समानान्तरण खसरा नम्बर 2818/2310 व 2819/2310 में से 0.05 है0 रकबा देने पर शेष रकबा का [illegible] नम्बर 2818/2310 का रकबा 0.07 है0 एवं खसरा नम्बर 2819/2310 [illegible] 0.07 है0 नक्शा सीट में रखा जाना उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 में अंकित तथ्यों का विवरण मद नं04 में कर दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थी द्वारा नक्शा सीट में मुताविक रिकार्ड आकृति दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है जो कि मुताविक रिकार्ड दिये जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2067—70 , फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2012 उनवानी रामनिवास बहक रिक मोटलस एल एल पी दिल्ली, नकल जमाबन्दी सं0 2071—74, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान, नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 किता 2, नकल मिलान क्षेत्रफल, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार श्रीमहावीरजी उपस्थित। वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार श्रीमहावीरजी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार श्रीमहावीरजी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराहराया है एवं उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि अपनी पूर्ण सहमति जताई है।

वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार नायबतहसीलदार श्रीमहावीरजी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

नकल जमाबन्दी सं0 2067—70 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी रामनिवास पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2012 उनवानी रामनिवास बहक रिक मोटलस एल एल पी दिल्ली के अनुसार विक्रेता रामनिवास पुत्र गजानन्द जाति महाजन निवासी श्रीमहावीरजी के द्वारा रिक मोटलस एल एल पी दिल्ली जरिये डेजिगनेटिड पार्टनर श्री राकेश जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन जाति जैन निवासी बी—154 योजना विहार दिल्ली—110092 क्रेता के हक में दिनांक 17.04.2012 को आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी विक्रय किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा भी क्रेता को संभलाना अंकित किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: Self Attested

नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी खातेदारी रिक मोटलस एल एल पी दिल्ली जरिये डेजिगनेटिड पार्टनर श्री राकेश जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन जाति जैन निवासी बी—154 योजना विहार दिल्ली—110092 के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 1236/1मिन रकबा14 बिस्वा के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी कायम किये गये हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 आबादी वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी श्री दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी निजी सम्पति हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 आबादी वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी सरकारी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी का वादी रिक मोटलस एल एल पी दिल्ली जरिये डेजिगनेटिड पार्टनर श्री राकेश जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन जाति जैन निवासी बी–154 योजना विहार दिल्ली–110092 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमहावीरजी की ओर से प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1236/1 मिन रकबा 14 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम नौरंगाबाद मुताविक मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये उक्त आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 ग्राम नौरंगाबाद जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 का जो नक्शा बनाया है, उसका क्षेत्रफल निकालने पर लगभग 12 एयर बैठता है तथा उक्त खसरा नम्बर के पास ही पश्चिम में खसरा नम्बर 2310/2781 रकबा 14 एयर अंकित है जो कि वर्तमान में उक्त आराजी के 2 खसरा नम्बर होकर खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0 सिवायचक गै0मु0आबादी व खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 श्री दिगम्बर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी (निजी सम्पत्ति) के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त तथ्यों की जॉच ग्राम नौरंगाबाद की पटवारी की लट्ठा सीट से की गई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2309 की नाप 12 एयर बैठती है, जो कि रिकार्ड से 5 एयर कम है। इसके पास में पश्चिम में अंकित खसरा नम्बर 2310/2781 जो रिकार्ड में 14 एयर दर्ज है को नक्शा सीट में नापने पर 19 एयर भूमि बैठती है। जो रिकार्ड में [illegible] से 5 एयर अधिक है। इस प्रकार भू– प्रबन्ध विभाग ने नक्शा सीट [illegible] खसरा नम्बर 2309 की आकृति में 5 एयर रकबा कम दर्ज किया है व [illegible] नम्बर 2310/2781 में 5 एयर रकबा वेशी दर्ज किया है। खसरा नम्बर 2310/2781 को बाद में नामान्तकरण सं0 378 दिनांक 29.10.2014 द्वारा तरमीम कर दो नम्बर बना दिये गये। जो कमश 2818/2310 रकबा 0.07 है0 व खसरा नम्बर 2819/2310

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 0.07 है0 कुल रकबा 0.14 है0 रिकार्ड में दर्ज किये हैं। जिनका रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 2819/2310 का रकबा 7 एयर व खसरा नम्बर 2818/2310 का रकबा 12 एयर बैठता है। दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर 19 एयर होता है। जो कि मूल खसरा नम्बर 2310/2781 के रिकार्ड में दर्ज रकबा 14 एयर से 5 एयर वेशी है। प्रार्थी द्वारा नक्शा सीट में मुताविक रिकार्ड आकृति दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है जो कि मुताविक रिकार्ड दिये जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार श्रीमहावीरजी की ओर से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र एवं रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी राजस्व सीट में दुरूस्ती कराने का हकदार है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम नौरंगाबाद तहसील श्रीमहावीरजी की आराजी खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0, 2819/2310 रकबा 0.07 है0 की राजस्व सीटों में से रकबा 0.05 है0 पूर्वी दिशा की तरफ खसरा नम्बर 2309 के लगमा में खसरा नम्बर 2309 का भाग दर्शाते हुए सभी राजस्व सीटों में जबावदावा के साथ संलग्न नक्शा सीट के अनुसार तरमीम करें तथा अर्थात खसरा नम्बर 2309 रकबा 0.17 है0 की नाप के अनुसार राजस्व सीटों में खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 2819/2310 रकबा 0.07 है0 में से पूर्ति करते हुए सभी राजस्व सीटों में तरमीम करें। खसरा नम्बर 2818/2310 रकबा 0.07 है0, 2819/2310 रकबा 0.07 है0 का राजस्व सीटों में तरमीम किया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पक्षकारान के किसी भी खसरा नम्बर के रकबा में कोई कमी या बढोतरी नहीं की जावेगी मात्र राजस्व सीटों में दुरूस्ती की जावेगी। जबावदावा के साथ संलग्न नक्शा सीट निर्णय का ही एक भाग है। तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व राजस्व सीटों में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 04.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

नक्शा किश्तवार

ग्राम - अकबरपुर नरियावास

तहसील - हिण्डौन

सम्वत् - 2044-46

पैमाना 1 सेमी = 40 मीटर

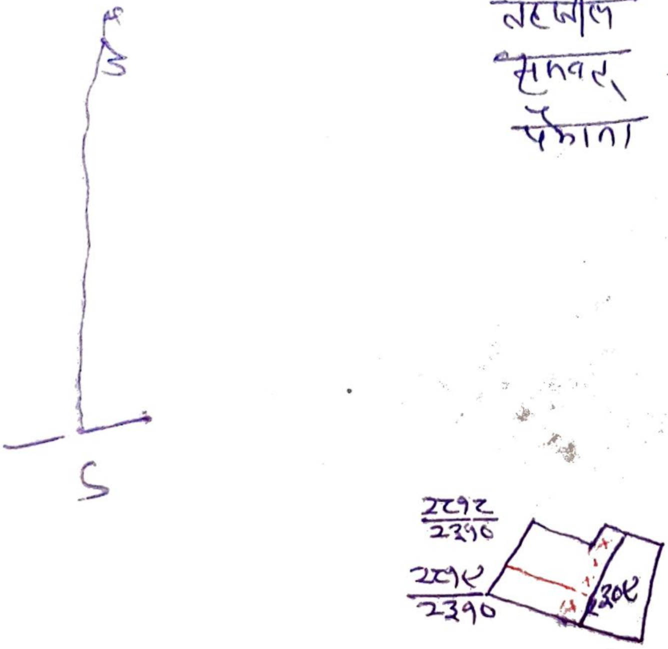

प्रमाणित प्रतिलिपि
(135.20)

राजकीय कार्य हेतु निःशुल्क
23/02/22

पटवारी ... नरियावास
तहसील हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी